(12)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 3878/3891/2016/19/यो भोपाल दिनांक 12/07/2016

प्रति,

परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

2 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषयः– केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निराकृत की जाने की व्यवस्था बाबत्।

संदर्भः– 1 परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल की टीप क्रमांक 670/एकल नस्ती/सा/पी0डी0/ दिनांक 25.06.2016

2 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की टीप क्रमांक 401/एम0डी0आर0 /केन्द्रीयकृत निविदा आ0/16–17/713 दिनांक 28.06.2016

—0—

म.प्र. शासन. लोनिवि, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 3249/2016/19/यो., भोपाल, दिनांक 09/06/2016 के द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण व्यवस्था लागू की गई है। संदर्भित टीप से प्राप्त आपके प्रस्ताव के अनुसार लागू उक्त व्यवस्था में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं।

लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) एवं (भ/स) में प्री–क्वालिफिकेशन वाली निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन अतिरिक्त परियोजना संचालक/मुख्य अभियंता कार्यालय में निम्नानुसार गठित एवं सौंपे गये दायित्व वाली समिति द्वारा किया जावेगा।

1. अतिरिक्त परियोजना संचालक/परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता — अध्यक्ष
2. संयुक्त परियोजना संचालक, कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक/अधीक्षण यंत्री, संबंधित मण्डल — सदस्य
3. कार्यपालन यंत्री/संभागीय परियोजना यंत्री
4. लेखाधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक — सदस्य

कार्यालय 228090 आ. क्र. दि. 18/07/16 लो. नि. वि., भोपाल

उक्त समिति को तकनीकी मूल्यांकन करने का दायित्व निम्नानुसार सौंपा जाता है :–

1. तकनीकी निविदा (एन्वेलप – "ए" एवं "बी" की हार्डकापी) के फिजिकल सबमिशन को प्राप्त करना।

2. निर्धारित समय सीमा में तकनीकी निविदा (Technical Proposal Envelope – "A" & "B") निर्धारित समय सीमा में खोलना/डाउनलोड करना।

3. एनवेलप–ए में प्राप्त ई0एम0डी0 का सत्यापन तीन दिवस के अंदर कराया जाना होगा। सत्यापन के पश्चात् सत्यापित ठेकेदारों की तकनीकी निविदा (एन्वेलप–''बी'') खोला जावेगा।

4. नॉन मटेरियल एवं नॉन कन्फार्मेटी मामले में संविदाकार से स्पष्टीकरण लिया जाना।

5. तकनीकी मूल्यांकन करना।

6. निविदाकारों के पात्र एवं अपात्र होने के परिणामों को पोर्टल में अपलोड करना।

7. एन्वेलप ''ए'' के साथ प्राप्त होने वाली ओरिजनल अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को सुरक्षित रखना एवं अग्रिम कार्यवाही करना।

यदि किसी निविदा प्रकरण में प्री बिड मीटिंग आयोजित की जाना है तो यह बैठक प्रमुख अभियंता/परियोजना संचालक पी0आई0यू0 के द्वारा ही आयोजित की जायेगी एवं वे ही इस बैठक का कार्यवाही विवरण जारी करेगें।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 12/07/2016

पृ0 क्रमांक 3879/3891/2016/19/यो

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग।
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
4. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री म0प्र0 लोक निर्माण विभाग ।
6. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, म0प्र0 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0।
7. निज सचिव मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग